फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अजमेर

भोला ..... बनाम छोटू व अन्य .....

मय मुकदमा 53,88 व 188 मुकदमा नम्बर 86/2013.....सन .....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
05.12.2019	पत्राावली पेश हुई। राजकीय पेरोकार उपस्थित । वकील वादी उपस्थित । राजकीय पेरोकार द्वारा पत्रावली पर निवेदन किया कि वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुति कि दिनांक के पश्चात न्यायालय आदेशिका दिनांक 11.4.2014, को अवशेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सही पते के नोटिस तलबाना प्रस्तुत करने हेतु वादी/वादी अधिवक्ता को आदेशित किया गया के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किए जाने पर दिनांक 19.11.2019 को अन्तिम अवसर दिये जाने पर भी प्रस्तुत नही किये गये। जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में वादी का वाद निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे राजकीय पेरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 11.4.14 की प्रभावी आदेशिका दिनांक 19.9.2019 के बावजूद पालना नही की गई है। जिससे पॉच वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पालना नही की गई । जिससे वादी एवं उनके अधिवक्ता की उक्त वाद पत्र को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकृट होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्रावधानो के तहत वादी अपने हक अधिकारो के प्रति सजग नही रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नही कर सकता है। अतः वादी का वाद पत्र न्यायालय आदेशो की अदम पालना में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी के तहत निरस्त कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी अजमेर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.12.10 12:23:15 IST
Reason: SelfAttested